सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

दशम प्रतिवेदन

(कृषि विभाग)

(दिनांक 24 जुलाई, 2025 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा

की

प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित।

विषय–सूची

क्रमांक		पृष्ठ
1.	प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	क
2.	प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3.	प्राक्कथन	ग
4.	प्रतिवेदन	1–3
5.	परिशिष्ट	4–22

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2025–2026) के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा — स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री आबिदुर रहमान — स०वि०स०
2. श्री अनिरूद्ध कुमार — स०वि०स०
3. श्री प्रेम शंकर प्रसाद — स०वि०स०
4. श्री रामबली सिंह यादव — स०वि०स०
5. श्रीमती नीतु कुमारी — स०वि०स०
6. श्रीमती शालिनी मिश्रा — स०वि०स०
7. श्रीमती प्रतिमा कुमारी — स०वि०स०
8. श्रीमती मीना कुमारी — स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1. श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2. श्री मो0 शमीम अहमद	उप–सचिव
3. श्री संजीव कुमार	अवर–सचिव
4. श्री चंदन कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री पंकज कुमार राय	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती कंचन कुमारी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने एवं अधिनियमों के अनुरूप कार्रवाई की गयी अथवा नहीं इसके सम्परीक्षण के क्रम में समिति के संज्ञान में आया कि बिहार राज्य कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन विभाग/प्रशासक द्वारा नहीं किया जा रहा है । समिति ने इस पर चिंता प्रकट की और चूंकि राज्य की परिसम्पपत्तियों का मामला है इसलिए इसकी गहन समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर सदन में प्रस्तुत कर रही हूँ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में कृषि विभाग द्वारा जो सहयोग दिया गया उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

बिहार विधान सभा की समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था। इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अजीत शर्मा,

सभापति,

प्रत्यायुक्त विधान समिति,

बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, परिनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के दौरान वर्ष 2025–26 में कृषि विभाग के साथ दिनांक 30 अप्रील, 2025, 16 जून, 2025 एवं 14 जुलाई 2025 को, कुल मिलाकर तीन बैठकें हुई। कृषि विभाग के साथ दिनांक 30 अप्रील 2025, की बैठक में समिति को प्रतिवेदन दिया गया कि LPA-177/2011(Arising from CWJC No. 5494/ 2010) में दिनांक 11 जुलाई, 2011 को जो आदेश पारित किया गया उसके आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी (परिशिष्ट–1)। समिति ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 2011 में पारित आदेश के संबंध में अप्रैल, 2025 में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रशासक के मौखिक उत्तर से समिति को महसूस हुआ कि प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा समिति को बराबर गुमराह करने की कोशिश की गई। दिनांक 30 अप्रील, 2025 की बैठक में जब समिति ने यह जानकारी चाही कि 2011 के आदेश पर अभी विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई ही कि जा रही है, तो विभाग की इस कार्य प्रणाली को समिति क्या समझे ? प्रशासक श्री शैलेन्द्र कुमार, जो विभाग के अपर सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं, ने बताया कि जनवरी, 2024 में श्री सुजीत कुमार सिन्हा के वेतन पर रोक लगायी गई है। उन्होंने जो बातें समिति के समक्ष कहीं वह निम्न हैं ;

"इसमें बताना चाहूंगा यह बाजार समिति का मामला है। यह सुजीत कुमार सिन्हा का मामला था। इसमें यह कहा गया था कि जबतक फैसला न आ जाय तबतक इनको जो देय सुविधाएं हैं उनको जारी रखा जाय। हमारी जानकारी में इनका वेतन जनवरी, 2024 से बंद है और दिसंबर, 2023 तक इनको सारा भुगतान हो गया है, जनवरी, 2024 में रोक लगायी गयी है। यह एक तो कोर्ट का मैटर था और इससे पहले त्रिसदस्यीय सचिव की एक समिति बनी थी एक उसकी रिपोर्ट थी तो As a new officer हम कंफ्यूज होने लगे कि कौन–सी रिपोर्ट लागू है, कौन–सी नहीं। हमको लगा कि 2011 के बाद से 2024 तक कोई फैसला आया होगा, इसमें अंतिम फैसला क्या हुआ आने के बाद यह जानना चाहा तो इसी बिंदु पर हमने सोचा कि विधि विभाग से अद्यतन रिपोर्ट मांग लें कि इसमें अद्यतन स्थिति क्या है। हमको अवगत करा दिया जाय बाकी वेतन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि इनको सुविधा देनी है (परिशिष्ट–2)।"

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा जाना है या नहीं, यह जानकरी भी विभाग को उपलब्ध नहीं थी। समिति ने विभाग को इसकी जानकारी देते हुए बैठक में निदेश दिया कि सभी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा जाये, जिस पर उपस्थित प्रधान सचिव ने नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने की बात कही। नियमावलियों के सम्परीक्षण

के क्रम में समिति ने बिहार राज्य कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा–4 एवं 5 के अनुसार जो कार्य विभाग एवं प्रशासक को करने हैं, उससे संबंधित निम्नांकित प्रश्नावली (परिशिष्ट–3) विभाग को भेजी गयी :

1. बिहार कृषि उपज बाजार निंरसन अधिनियम, 2006 की धारा–4 एवं 5 के अनुसरण में सरकार द्वारा कितने निर्देश आदेश या अनुदेश जारी किये गये हैं ? क्या इन्हें सदन पटल पर रखा गया है, यदि हां, तो कब ?
2. अधिनियम के अनुरूप कृषि विपणन पर्षद की सम्पत्तियों की देख–रेख की जिम्मेवारी प्रशासक/विशेष पदाधिकारी की है, विभाग के पास ऐसा कोई आकलन है कि कितनी परिसम्पत्तियां उस वक्त थीं और आज कितनी हैं ?
3. अधिनियम के अनुरूप कृषि विपणन पर्षद/बाजार समितियों की अचल सम्पत्ति का उपयोग केवल कृषि और कृषक के हित के लिये किया जाना था, इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई समीक्षा विभाग द्वारा की गयी है ?

दिनांक 16 जून, 2025 को समिति की बैठक विभाग के साथ हुई। इस दिन भी प्रशासक श्री शैलेन्द्र कुमार ने श्री सुजीत कुमार सिन्हा के मामले में समिति को टालमटोल करने का प्रयास किया, हालांकि उन्होंने कहा कि वेतन के मामले में एक सप्ताह के अंदर निर्णय हो जायेगा और भुगतान में दो सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, दो सप्ताह के अंदर हो जायेगा। जो प्रतिवेदन विभाग का आया संक्षेप में उसके अनुसार वादी की सेवा किस प्रकार रही इसे समझने का कतिपय प्रयास किया गया। मामले की क्लिष्टता को समझने हेतु यह जानकारी देना भी उचित होगा कि इनके मामले में त्रिसदस्यीय समिति की तीन बैठकें पूर्ण हो चुकी हैं जिसमें दो बार इनके सेवा समायोजन का गलत बताया गया है (परिशिष्ट–4)।

बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 के आलोक में की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के क्रम में यह भी समिति के संज्ञान में आया कि बाजार समिति मुसल्लहपुर, पटना और बाजार और समिति भागलपुर के प्रांगण में दूकानों का निर्माण तो कर दिया गया, परंतु आवंटन की नीति नहीं बनी जिसकें कारण दूकानें अनावंटित हैं। समिति ने दिनांक 14 जुलाई, 2025 को विभाग के साथ बैठक निर्धारित की और 11 बिंदुओं पर विभाग से उत्तर मांगा (परिशिष्ट–5)। दिनांक 14 जुलाई, 2025 की बैठक तक भी प्रशासक द्वारा श्री सुजीत कुमार सिन्हा का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि दिनांक 16 जून, 2025 की बैठक में कहा गया था कि दो सप्ताह के अंदर भुगतान हो जायेगा। प्रशासक द्वारा समिति को लिखित एंव मौखिक जो उत्तर दिया गया उससे समिति ने महसूस किया कि प्रशासक श्री सुजीत कुमार सिन्हा का वेतन भुगतान नहीं करने पर आमादा हैं। श्री सिन्हा का वेतन भुगतान तब शुरू हुआ जब माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया। जैसा विभाग ने बताया वह आदेश आज भी कायम है फिर वेतन भुगतान नहीं किया जाना, 2025 में एल0पी0ए0 में जाने हेतु कार्रवाई किया जाना तथा चौथी बार त्रिसदस्यीय समिति में श्री सिन्हा का मामला भेजा जाना इस ओर स्पष्ट संकेत करता है कि उनके प्रति कहीं न कहीं द्वेष है।

बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 द्वारा निर्धारित दायित्वों के संबंध में दिनांक 30 अप्रील, 2025 को हुई बैठक में विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बाजार समिति के 54 बाजार प्रांगण में से 21 बाजार प्रांगण को सरकार विकसित करने की योजना बनायी है जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। समिति ने जानना चाहा था कि बाजार समितियों की कितनी परिसंपत्तियां 2006 में थीं और आज कितनी परिसंपत्तियां हैं ? उसका प्रशासक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और मात्र इतना कहा गया कि क्या–क्या एसेट्स हैं इसके डिफरेंट–डिफरेंट फॉर्मेट बनाकर हम लोग सभी एसडीओ से कलेक्ट कर रहे हैं। बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद 2006 में भंग हुआ और 2025 तक प्रशासक को इसकी परिसम्पत्तियों का पता नहीं चला जबकि निरसन अधिनियम में परिसम्पत्तियों के निर्धारण का दायित्व प्रशासक और विशेष पदाधिकारियों को दिया गया है।

समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंची है :–

निष्कर्ष

कृषि विपणन पर्षद को भंग करते समय सरकार द्वारा पर्षद की सम्पत्तियों के बारे में सोचा गया और बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। विमर्श के क्रम में जो मौखिक और लिखित उत्तर उपलब्ध कराये गये उससे समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कामों की अनेदखी प्रशासक द्वारा की गयी है। सभी 54 बाजार समितियों की परिसम्पत्तियां आज कितनी हैं इसका कोई न तो लिखित उत्तर और न ही मौखिक उत्तर प्रशासक द्वारा दिया गया। कृषि विपणन पर्षद भंग हुए 19 वर्ष हो गये और आजतक उसकी परिसम्पत्तियों का आकलन नहीं होना प्रशासक की उदासीनता का प्रतिफल है।

अतः समिति निम्नांकित अनुशंसाएं करती है:–

अनुशंसा

1. सभी बाजार समितियों की परिसम्पत्तियों का आकलन तीन माह के अंदर कराया जाय।
2. बाजार समिति प्रांगण में यथासंभव निबंधित व्यापारियों की संख्या के अनुरूप दूकानों का निर्माण किया जाय।
3. दूकानें आवंटन से संबंधित नीति तीन माह के अंदर बनाकर निर्मित दूकानें आवंटित की जायं।
4. विभाग प्रशासक के कार्यकलाप की नियमित रूप से समीक्षा करे।

अजीत शर्मा,

सभापति,

प्रत्यायुक्त विधान समिति,

बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

पत्रांक 24 अमि0स्था0–02 / 2010–199

बिहार सरकार

कृषि विभाग

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि0), पटना

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार ,
प्रशासक।

सेवा में

सरकार के उप–सचिव,
कृषि विभाग,, बिहार पटना।

पटना,दिनांक 28 अप्रील, 2025(ई0)।

विषय—-बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 30 अप्रील, 2025 को 11.30 बजे पूर्वाहन में कृषि विभाग के साथ आयोजित बैठक के संबंध में।
प्रसंग—-आपका पत्रांक 2112 , दिनांक 24 अप्रील, 2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रश्नावली क्रम सं0 03 से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

प्रश्नावली—-माननीय पटना उच्च नयायालय के कितने आदेश वेतन भुगतान के अभी तक लंबित है। उदाहरणस्वरूप CWJC No. 5494/2010 में वेतन भुगतान का आदेश वर्ष 2011 मेंमाननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उसके कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है ,

उत्तर—L.P.A No.177/2011(Arising from CWJC No.5494/2010) बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुजीत कुमार सिन्हा वाद में दिनांक 11 जुलाई, 2011 को आदेश निम्नवत् पारित किया गया :–

There is no dispute that after setting aside the order impugned before the writ court dated 5th March, 2010 (Annexure 18) the writ petitioner has been reinstated in service and at present he is working in order to give an opportunity to the writ petitioner afresh for making a prayer for stay of the order dated 5th March, 2010 in the light of subsequent development, it is directed that the service of the writ pentitioner shall not be disturbed for a period of 8(eight) weeks or till the matter is listed before the writ court for the first time for admission, whichever is earlier, it will be for the writ court to decide on the basis of materials available before it whether the interim relief should be granted to the writ pettioner or not. The appeal is allowed to the aforesaid extent.

वाद की सुनवाई हेतु writ court में वापस कर दी गयी; जिसके उपरांत writ court द्वारा LPA Order में दिये गये अंतरिम Rrelief को अगले आदेश तक जारी रखने तथा counter Affidavit file करने का ओदश दिया गया है।

तदालोक में विधि विभाग परामर्श प्राप्त की जा रही है, जिसके उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। सम्प्रति वाद writ court में लंबित है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

शैलेन्द्र कुमार
प्रशासक।

पत्रांक 15 विधि–05/2025–276
बिहार सरकार
कृषि विभाग
बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि0), पटना

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार,
प्रशासक।

सेवा में

सरकार के उप–सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

पटना, दिनांक 13 जून, 2025(ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 2524, दिनांक 20 मई, 2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रश्नावली क्रम सं0 02 से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

प्रश्नावली—श्री सुजीत कुमार सिन्हा का वेतन किस नियम के तहत तथा किस आदेश के आधार पर बंद किया गया है।

उत्तर—श्री सुजीत कुमार सिन्हा का मामला L.P.A No.177/2011(Arising from CWJC No.5494/2010) बिहार राज्य एवं अन्य से अच्छादित है। उक्त वाद में दिनांक 11 जुलाई, 2011 को पारित ओदश का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

" It is directed that the service of the writ petitioner shall not be disturbed for a period of 8 (eight) weeks or till the matter is listed before the writ court for the first time for admission, whichever is earlier."

साथ ही उक्त वाद की सुनवाई हेतु writ court को वापस कर दी गयी। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 5494/2010 श्री सुजीत कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामलें में दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 को सुनवाई की गयी और निम्न ओदश पारित किया गया :–

" Matter will come up after two weeks, as prayed on behalf of the counsel for the State for filling counter affidavit .

Time is granted subject to payment of Rs. 2000/- as cost, as earlier indulgence given to the State has not begotten any result.

" The interim order shall continue till futher orders."

उक्त न्यायालयी आदेश के तहत वेतन भुगतान हेतु MJC No.2040/2021 श्री सिन्हा द्वारा दायर किया

गया तथा उक्त MJC वाद के अनुपालन में प्रशासक द्वारा दिसम्बर, 2023 तक वेतन भुगतान किया गया। जनवरी, 2024 में श्री सिन्हा द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की गयी जिसकी समीक्षा हेतु तत्कालीन प्रशासक द्वारा प्रस्तुतिकरण मांगा गया, जिसमें समय लगा।

इस बीच प्रशासक का स्थानान्तरण हो गया। नये/निवर्तमान प्रशासक द्वारा भी इस क्लिष्ट विषय को समझने में तथा माननीय LPA न्यायालय 177/2011 में 11 जुलाई,2011 के आदेश द्वारा मात्र आठ सप्ताह तक ही अथवा Writ Court में प्रथम Admision होने के अवधि पूरा हो जाने पर भी वादी की सेवा किस प्रकार रही इसे समझने का कतिपय प्रयास किया गया क्योंकि इस मामले से संयुक्त कई अन्य केस संबद्ध है। अंततः विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया (14 मई, 2025)।

तदालोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा श्री सिन्हा के मामले में विधि विभाग का परामर्श दिनांक 14 मई, 2025 प्राप्त हो गया है।

श्री सिन्हा की सेवा समायोजन का मामला माननीय न्यायालय वाद से आच्छादित है।

मार्केटिंग वोर्ड (वि0) के विघटन के बाद समायोजन की कार्रवाई हेतु अधिकृत समिति सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति है, जिसके पास सेवा समायोजन/वेतन भुगतान का मामला लिया जाना है ताकि विषयांकित वाद में विभाग अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके।

उक्त हेतु वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में तथा माननीय LPA न्यायालय तथा Writ न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन हेतु सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध किया गया है।

अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ वेतन भुगतान का नहीं है बल्कि गलत सेवा समायोजन का है, जिसमें पूर्व में MJC वाद के अनुपालन में वेतन भुगतान दिसम्बर, 2023 का किया गया है और मामला Writ Court में लंबित है। मामले की क्लिष्टता को समझने हेतु यह जानकारी देना भी उचित होगा कि इनके मामले में सरकार के उच्चतम स्तर पर सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की तीन बैठक पूर्व में हो चूकी है, जिसमें दो बार इनके सेवा समायोजन को गलत बताया गया है।

सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के गठन का अनुरोध किया जा चुका है। अतः जल्द ही मामले में विधिवत कार्रवाई कर ली जायेगी।

प्रतिवेदित सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

शैलन्द्र कुमार

प्रशासक

परिशिष्ट–2

प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 30 अप्रील, 2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

सभापति

श्री अजीत शर्मा

सदस्यगण

श्री आबिदुर रहमान

श्री अनिरूद्ध कुमार

श्रीमती नीतु कुमारी

श्रीमती प्रतिमा कुमारी

श्रीमती मीना कुमारी

विभागीय पदाधिकरीगण

श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, कृषि विभाग

श्री शैलेन्द्र कुमार, अपर सचिव, कृषि विभाग

श्री नितिन कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विभाग

श्रीमती कल्पना कुमारी, अपर सचिव

श्री अनुज कुमार, उप–सचिव

श्री नितेश कुमार राय, उप–नदेशक

सभा सचिवालय

मो0 शमीम अहमद, उप–सचिव

श्री संजीव कुमार, अवर–सचिव

कृषि विभाग

सभापति : बैठक प्रारम्भ की जाती है। एक बार सभी का परिचय हो जाय।

कृषि विभाग के पत्रांक 2154, दिनांक 29 अप्रील, 2025 एवं पत्रांक 2125, दिनांक 25 अप्रील, 2025 को समिति के समक्ष रखा गया।

समिति विभाग को धन्यवाद देती है कि एक दिन पहले आपने समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। नियमावली सदन पटल पर रखे जाने से संबंधित प्रश्न पर आपने कहा है कि नियमावली सदन पटल पर नहीं रखी जाती है। यह उत्तर जानकारी के अभाव में दिया गया है। पूर्व में भी यह व्यवस्था रही है और प्रत्यायुक्त विधान समिति की अनुशंसा के बाद विद्वान महाधिवक्ता की राय लेकर फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4002, दिनांक 6 मार्च, 2024 द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि नियुक्ति –प्रोन्नति नियमावली को सदन पटल पर रखा जाय। महाधिवक्ता द्वारा इसकी समय–सीमा 15 दिन रखने का परामर्श दिया है। क्या आप इस पत्र से अवगत हैं ? आप चाहें तो देख सकते हैं पत्र की प्रति है मेरे पास। आप नियमावलियों को कबतक सदन पटल पर रखने की कार्रवाई करेंगे यह बता दें।

सचिव–सर , हमें यह पत्र प्राप्त हो गया है और अब जैसे ही विधान सभा का अगला सत्र होगा, हमारी जितनी भी नियमावलियों बनी हैं उन सबको सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

सभापति–वेतन बंद करने से संबंधित प्रश्नावली के पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। किस नियम के तहत वेतन बंद करते हैं यह बताइये।

सचिव–सर , प्रशासनिक प्रक्रिया है कि अगर कोई अनुपस्थित रहते हैं तो उसका वेतन नहीं दिया जाता है, उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलता है। अगर उपस्थिति नहीं होती है तो ही वेतन रोका जाता है क्योंकि वेतन तभी मिलता है जब वह उपस्थित हो।

सभापति–किस नियम से वेतन रोकते हैं वह बताइये।

सचिव–सर, वेतन उपस्थिति के आधार पर ही बनता है। अगर कोई बिना छुट्टी स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहते है तो वित्तीय नियमावली है, वेतन रोका जाता है लेकिन वेतन बंद करना कोई दंड नहीं है। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वेतन बंद कर दिया जाय तो उसको उचित नहीं कहा जा सकता है लेकिन बिना छुट्टी स्वीकृति के अनुपस्थिति के.आधार पर वेतन की कटौती होती है।

सभापति–विभाग में 5 बजे महिला कर्मियों को जाने की अनुमति से संबंधित तथा पॉलिहाउस फार्मिंग से संबंधित प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया गया है इसलिए इस पर आगे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार में लीगल केसों को कम करने और सरकारी मुकदमेबाजी को नियंत्रित करने के लिए बिहार स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2011 के तहत जिला और विभागीय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित करना था। आपने बताया है कि निगरानी तंत्र गठित किया गया है। अपने जो पत्र दिया है उसके अनुसार आपने अप्रैल, 2025 में गठित किया है। क्या यह सही है, यदि सही है तो 2011 की पॉलिसी के लिए 2025 में क्यों कार्रवाई की गयी ?

सचिव–सर, चूंकि पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया था तो जो नये नोडल पदाधिकारी बने है उनका नाम बदला गया है। पहले से कमेटी गठित है। वर्ष 2019 में भी गठित थी जिसमें श्रमती निवेदिता रॉय,उप–निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव को इसका नोडल बनाया गया था।

सभापति–नीति बनने से लेकर 31 मार्च, 2025 तक विभाग पर कितने मुकदमे हुए, इसमें वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति से संबंधित कितने हैं ? इससे संबंधित उत्तर नहीं दिया गया है। आपने इस नीति के तहत प्राप्त तीन अभ्यावेदनों का जिक्र किया है। आप यह बताइये कि विभाग पर मुकदमे नहीं हों इसके लिए विभागीय स्तर पर कौन–कौन सी पहल की गयी, कौन–कौन से आदेश/निर्देश कब–कब जारी किये गये ?

सचिव–सर, अभी तीन मामले जो इस नीति के तहत आये हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। प्रोन्नति में पूरे बिहार में रोक थी। अब रोक हट गयी है, पिछले वर्ष से प्रोन्नति प्रारम्भ हो गयी है तो अब उससे संबंधित मामले कम हो जायेंगे।

सभापति–नीति बनने से लेकर 31 मार्च, 2025 तक विभाग पर कितने मामले हुए, इसमें वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले कितने हैं इससे संबंधित उत्तर नहीं दिये हैं। यदि रिपोर्ट अभी नहीं लाये हैं तो अगली बैठक में उपलब्ध करवा दीजियेगा।

सचिव–ठीक है सर।

सभापति–CWJC 5494/2010 में वेतन भुगतान का आदेश वर्ष 2011 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है उसके कार्यान्वयन की उद्यतन स्थिति क्या है ?

इसके बारे में आपने जवाब दिया है कि दिनांक 11 जुलाई, 2011 को अंतरिम रिलीफ को अगले आदेश तक जारी रखने और काउंटर ऐफिडेविट फाईल करने का आदेश दिया गया है जिसके आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। आप यह स्पष्ट बताइये कि 2011 के आदेश पर अभी विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई ही की जा रही है तो विभाग की इस कार्यप्रणाली को समिति क्या समझे ?

अपर सचिव–सर, इसमें बताना चाहूंगा यह बाजार समिति का मामला है। यह सुजीत कुमार सिन्हा का मामला था। इसमें कहा गया था कि जबतक फैसला न आ जाय तबतक इनको जो देय सुविधाएं हैं उनको जारी रखा जाय ! हमारी जानकारी में इनका वेतन जनवरी, 2024 से बंद है और दिसंबर, 2023 तक इनको सारा भुगतान हो गया है, जनवरी, 2024 में रोक लगायी है। यह एक तो कोर्ट का मैटर था और इससे पहले त्रिसदस्यीय सचिव की एक समिति बनी थी एक उसकी रिपोर्ट थी तो As a new officer हम कंफ्यूज होने लगें कि कौन–सी रिपोर्ट लागू है, कौन–सी नहीं । हमको लगा कि 2011 के बाद से 2024 तक कोई फैसला आया होगा, इसमें अंतिम फैसला क्या हुआ आने के बाद यह जानना चाहा तो इसी बिंदु पर हमने सोचा कि विधि विभाग से अद्यतन रिपोर्ट मांग लें कि इसमें अद्यतन स्थिति क्या है। हमको अगवत करा दिया जाय बाकी वेतन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि इनको सुविधा देनी है।

सभापति–अभी ये कार्यरत है या नहीं और कार्यरत हैं तो उनको वेतन भुगतान किया जा रहा है या नहीं ?

अपर सचिव–सर, आज की तिथि में कार्यरत हैं।

सभापति–आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो किस नियम, किस आदेश के आधार पर वेतन बंद किया गया है ?

सचिव–इस बारे में अगली बैठक में विस्तार से अवगत करवा देंगे।

सभापति–आपके विभाग के साथ दिनांक 29 मई, 2025 को अगली बैठक रखी जायेगी।

सचिव–ठीक है सर । तबतक हम कोई डिसिजन लेकर समिति को अवगत करवा देंगे।

सभापति–ठीक है। आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट 3

पत्रांक संख्या–प्र0वि0स0–10/2022–1069/वि0स0।

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

मो0 शमीम अहमद,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक 13 जून, 2025 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सभा सचिवालय के पत्रांक 951, दिनांक 6 जून, 2025 के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 10 जून, 2025 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि समिति का कृषि विभाग के साथ दिनांक 16 जून, 2025 को 12.30 बजे अपराह्न में बिहर विधान सभा स्थित विस्तारित भवन के समिति कक्ष में होने वाली बैठक में समिति सभा सचिवालय के पत्र पत्रांक 859, दिनांक 16 मई, 2025 में अंकित बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करेगी :–

1. बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम 2006 (Bihar Agriculture Produce Market (Repeal) Act, 2006) धारा–4 एवं 5 के अनुसरण में सरकार द्वारा कितने निर्देश, आदेश या अनुदेश जारी किये गये हैं ? क्या इन्हें सदन पटल पर रखा गया है, यदि हां तो कब ?

2. अधिनियम के अनुरूप कृषि विपणन पर्षद की सम्पत्तियों की देख–रेख की जिम्मेवारी प्रशासक/विशेष पदाधिकारी की है, विभाग के पास ऐसा कोई आकलन है कि कितनी परिसम्पत्तियां उस वक्त थी और आज कितनी हैं ?

3. अधिनियम के अनुरूप कृषि विपणन पर्षद/बाजार समितियों की अंचल सम्पत्ति का उपयोग केवल कृषि और कृषक के हित के लिये किया जाना था, इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई समीक्षा विभाग द्वारा की गयी है ?

4. भागलपुर में स्थल अध्ययन के दौरान जानकारी दी गयी कि बाजार समिति में दुकानें बनायी गयी थी उनमें विवाद हो गया है। बाजार समिति, मुसल्लहपुर, पटना की विस्तृत जानकारी समिति चाहती है।

(क) मुसल्लहपुर बाजार समिति, पटना में कुल कितने व्यापारी हैं, कितनी दूकानें पूर्व से आवंटित हैं और कितनी दुकानों का निमार्ण पिछले पांच वर्षों में किया गया है, दूकानें कब बनायी गयीं और नवनिर्मित दूकानों का आवंटन हुआ या नहीं, व्यापारियों की संख्या के अनुरूप दूकानें बना कर उन्हें आवंटित करने में क्या कठिनाई है ?

अतः अनुरोध है कि उद्यतन प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने एवं निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
मो0 शमीम अहमद,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–4

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक 16 जून, 2025 को 12.30 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थिति समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति :

सभापति

श्री अजीत शर्मा

सदस्यगण

श्री आबिदुर रहमान

श्री अनिरूद्ध कुमार

श्री प्रेम शंकर प्रसाद

श्री रामबली सिंह यादव

श्री श्रीमती नीतु कुमारी

श्री श्रीमती शालिनी मिश्रा

श्री श्रीमती प्रतिमा कुमारी

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री पंकज कुमार, प्रधान सचिव, कृषि विभाग

श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव, विशेष सचिव

श्री शैलेन्द्र कुमार, अपर सचिव

श्री नितिन कुमार सिंह, कृषि निदेशक

श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

श्री अनुज कुमार, उप–सचिव

सभा सचिवालय :

श्री मो0 शमीम अहमद, उप–सचिव

कृषि विभाग

सभापति–बैठक प्रारंभ की जाती है।

बिहार स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2011 के तहत नीति बनने से लेकर 31 मार्च, 2025 तक विभाग में कितनी मामले आये, इसमें वेतन भुगतान एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले कितने हैं ?

विशेष सचिव–सर , तीन मामले थे रामनारायण शर्मा श्री अरूण कुमार और भरत पाण्डेय का । तीनों का मामला निष्पादित कर दिया गया है।

सभापति–श्री सुजीत कुमार सिन्हा का वेतन किस नियम के तहत तथा किस आदेश के आधार पर बंद किया गया है ? इसकी प्रति आप उपलब्ध नहीं कराये हैं। श्री सिन्हा का वेतन अभीतक रिलीज किया गया या नहीं, किया गया है तो कबतक करेंगे, यह बताइये। नियम और आदेश दें। आपने दिया नहीं है।

अपर सचिव–सर, पिछले बैठक में हमलोग बताये थे कि उनका केस सामान्य कर्मी का नहीं है। वह दैनिक मजदूर के तौर पर आये या परमानेंट आये इस पर माननीय उच्च न्यायालय में 2010 में एक केस चला। तो समायोजन का मामला सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति को अधिकृत किया गया। 2010 में तीन बार सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति की बैठक हुई और इसके उपरांत माननीय न्यायालय ने विभाग की ओर से उनके संबंध में सचिवों के निम्न त्रिसदस्यीय समिति का रिपोर्ट एस0ओ0एफ0 के तौर पर दायर करना है ? अभी तो माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि उनको भुगतान करना है । इसमें है। अभीतक वह जो काम किये हैं। उसका उनको भुगतान किया जाए और आगे उनको किस कैटेगरी में रखा जाए यह सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति में रखना है। उसके लिये संचिका हमलोग सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिये हैं एक हफ्ते के अंदर वह निर्णय हो जायेगा और भुगतान में दो हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। दो हफ्ते के अंदर हो जायेगा।

सभापति–11 जुलाई, 2011 के मामले में अभीतक सेवा किस प्रकार की है यह समझने का ही प्रयास प्रशासक द्वारा जून, 2025 में हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मामला में यह हाल है तो मार्केटिंग बोर्ड की सम्पत्तियों की क्या स्थिति होगी ?

अपर सचिव–सर , 11 जुलाई, 2011 में समायोजन को लेकर सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति की बैठक फरवरी माह में संभवतः हुई थी जो इनके समायोजन को देख रही थी। इनके समायोजन को निरस्त कर दिया तो इनका मामला माननीय न्यायालय में पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने सुजीत सिन्हा के फेवर में डिसीजन लिया और सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया। उस आदेश के बाद फिर सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति की बैठक हुई उस बैठक में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद पुनः सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति

की बैठक छठे महीने में तीसरी बार हुई। उसमें सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष एक नया प्रश्न रखा गया कि क्या दैनिक मजदूरों का समायोजन होना था या सिर्फ परमानेंट एम्पलॉय का होना है। उसमें यह निकलकर आया कि जो मार्केटिंग बोर्ड के परमानेंट एम्पलॉय थे पहले से सिर्फ उन्हीं का होना था। तो ऐसे में सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति ने निर्णय लिया कि हमलोग एल0पी0ए0 में जायेंगे, माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध में एल0पी0ए0 दायर, हुआ। सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति के आदेश के आलोक में एल0पी0ए0 में यह कहा गया कि सरकार को कि आप जो संबंधित न्यायालय था उसके समक्ष आप जाइये और अपने पक्ष को उनके पास रखिये तबतक के लिये वादी को प्रोटेक्शन दे रहे है 8 सप्ताह या प्रथम सुनवाई जो भी पहले हो तबतक इनको वेतन का भुगतान किया जाय। इसके बाद सुनवाई हुई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार की ओर से सचिवों के त्रिसदस्यीय समिति या जो भी सरकार का निर्णय सक्षम स्तर से होना है उसका हमलोग के पास रिक्वेस्ट नहीं दायर हुआ है । इसलिये उनको जो 8 सप्ताह का प्रोटेक्शन दिया गया था उसको अगले समय तक के लिये एक्सटेंट किया जाता है। विभाग की ओर जब पिछले वर्ष में हम आये और इसको देखें तो हमने इसको टेकअप किये और सर के यहां भी समानांतर कार्रवाई चलने लगा तो विधि विभाग को हमलोग भेंजे अब हमें लगता है कि यह मैक्सिम दो हफ्ते, तीन हफ्ते और चलेगा।

सभापति–त्रिसदस्यीय समिति की तीनों बैठकों की कार्यवाही और उस पर कृत कार्रवाई से संबंधित सभी कागजात की प्रतिलिपि समिति को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। इस तरह प्रशासक के कार्यकलाप पर समिति सदन में आगामी सत्र में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अपर सचिव–ठीक है सर।

सभापति–कितनी बार त्रिसदस्यीय समिति में मामला भेजा जा सकता है या प्रशासक की मनमर्जी है ?

अपर सचिव–सर, इसकी जानकारी भी हम समिति को उपलब्ध करवा देंगे।

सभापति–बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 की धारा–4 एवं 5 के अनुसरण में सरकार द्वारा कितने निर्देश, आदेश या अनुदेश जारी किये गये हैं ?
क्या इन्हें सदन पटल पर रखा गया है, यदि हां, तो कब ?

अपर सचिव–सर, इसके बारे में हम अभी प्रीपेयर होकर नहीं आये है। इसको हम समिति को उपलब्ध करवा देंगे।

सभापति–अधिनियम के अनुरूप कृषि विपणन पर्षद की सम्पत्तियों की देख–रेख की जिम्मेवारी प्रशासक / विशेष पदाधिकारी की है, विभाग के पास ऐसा कोई आकलन है कि कितनी परिसंपत्तियां उस वक्त थीं और आज कितनी हैं ?

अपर सचिव–इसकी रिपोर्ट भी हम समिति को उपलब्ध करवा देंगे ।

सभापति–अधिनियम के अनुरूप कृषि कृषि विपण पर्षद/बाजार समितियों की अचल सम्पत्ति का उपयोग केवले कृषि और कृषक के हित के लिये किया जाना था, इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई समीक्षा विभाग द्वारा की गयी है ?

अपर सचिव–सर समीक्षा की गयी है और 2024 में जो 54 बाजार प्रांगण हैं । यह हमलोगों की परिसंपतित्त है । 54 बाजार प्रांगण में कितनी दुकानें हैं और क्या–क्या एसेस्टस है उसका डिफरेंट–डिफरेंट फार्मेट बनाकर हमलोग सभी एस0डी0ओ0 जो कि विशेष पदाधिकारी होते हैं उनसे हमलोग कलेक्ट करते जा रहे हैं । यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही साथ 21 बाजार प्रांगण को सरकार विकसित करने की योजना बनाते हुये उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। 21 बाजार प्रांगण में दो का उद्‌घाटन हो चुका है। एक सीतामढ़ी में और दूसरा कैमूर में और बाकी के लिये भी चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है।

सभापति–भागलपुर में स्थल अध्ययन के दौरान जानकारी दी गयी कि बाजार समिति में दुकानें बनायी गयीं थीं, उनमें विवाद हो गया है। बाजार समिति, मुसल्लहपुर, पटना की विस्तृत जानकारी समिति चाहती है।

(क) मुसल्लहपुर बाजार समिति, पटना में कुल कितने व्यापारी हैं, कितनी दुकानें पूर्व से आवंटित है और कितनी दुकानों का निर्माण पिछले पांच वर्षों में किया गया है, दुकानें कब बनायी गयीं और नव निर्मित दुकानों का आवंटन हुआ या नहीं, व्यापारियों की संख्या के अनुरूप दुकानें बनाकर उन्हें आवंटित करने में आपको क्या कठिनाई है ?

अपर सचिव–सर, भागलपुर वाले की सूचना 13 तारीख वाले पत्र से हमको पता चला तो हमने वहां से इसकी जानकारी मांगी है। हमने 14 तारीख को ही डी0एम0 साहब को पत्र भेज दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है। मुसल्लहपुर, पटना के जो विशेष पदाधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगे हैं। उसके अलावा आवंटन की नीति के बारे में सर का जो दूसरा प्रश्न है। उसके बारे में बताना चाहेंगे कि विभाग स्तर पर आवंटन की नीति का प्रारूप प्रक्रियाधीन है। हमलोग कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो उस आधार पर दुकान को आवंटन और जो भी करना है वह शुरू हो जाए।

सभापति–पहले से कितना आवंटित है ?

अपर सचिव–सर, इसकी सूची हमलोग मांगे है लेकिन सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सभापति–प्रशासक ने अभी तक किती बार बाजार समितियों का निरीक्षण किया है और क्या पाया है ?

अपर सचिव–सर, 2024 में 21 बाजार प्रांगण का निरीक्षण एक साथ सचिव महोदय के आदेश से कराया गया था। इसका सारा डिटेल हम समिति की उपलब्ध करवा देंगे।

श्री रामबली सिंह यादव–समिति की टीम स्थल अध्ययन में जहानाबाद गयी थी। वहां गोदनगंज में शिकायत मिली कि किसान जो बीज खरीदते हैं तो उनको रशीद नहीं दिया जाता है।

कृषि निदेशक–सर, हम इसकी जांच करवा लेते हैं।

श्री रामबली सिंह यादव : हमारे यहां कृषि विज्ञान केन्द्र है। उसमें कुछ गाँवों को गोद लेने का है। वह गोद लिया है मखदुमपुर प्रखंड में 5–6 गाँवों को तो क्या यह परमानेंट है या कितना दिन के लिये गोद लिया जाता है ?

प्रधान सचिव–सर, इसके लिये भारत सरकार का मापदंड है। गोद लेने का एक मैनटेड होता है उसको पूरा करना होता है।

श्री रमाबली सिंह यादव–हमारे यहां के किसानों का है कि हमारे यहां के गाँवों को क्यों गोद नहीं लिया गया। दूसरा, लोगों का कहना है कि कुछ औजार आया है तो जो गोद लिया हुआ गाँव है उसके अलग गाँव के किसानों को उपलब्ध कराने का है या नहीं ?

प्रधान सचिव–सर, इसका गाईडलाइन हम समिति को उपलब्ध करवा देंगे।

श्री रामबली सिंह यादव–तीसरा मेरा सवाल है हुलासगंज में एक बाजार समिति है। वह बाजार समिति अभी चल नहीं रहा है लेकिन इतना कचड़ा और जल–जमाव है कि इससे पूरा बाजार त्रस्त है। तो क्या आपके सौजन्य से इसका साफ–सफाई कराया जा सकता है, अगर करवाया जा सकता है तो इसको करवाया जाए ?

अपर सचिव–हम देख लेते हैं सर।

सभापति–समिति की बैठक में प्रशासन द्वारा जो बताया गया उसके आलोक में निम्नांकित प्रश्नों पर पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अंदर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय :

1. न्यायालय में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट एच0ओ0एफ0 के तौर पर कब तक दायर करना था ? इस संबंध में न्यायालय का क्या आदेश था ?
2. आज की तिथि में वेतन दिये जाने का मामला न्यायालय के आदेश के आधार पर संरक्षित है कि नहीं, यदि है तो फिर वेतन रोकने का क्या औचित्य है जबकि कर्मी से काम लिया जा रहा है ?
3. त्रिसदस्यीय समिति ने एस0पी0ए0 में जाने का निर्णय कब लिया, एल0पी0ए0 दायर हुआ कि नहीं, यदि एल0पी0ए0 दायर हुआ तो उसमें न्यायालय का क्या आदेश प्राप्त हुआ ?
4. त्रिसदस्यीय समिति में कितनी बार एक ही मामला को भेजा जा सकता है ?
5. 2024 एवं 2025 में प्रशासक ने कितनी बार बाजार समितियों का स्वयं निरीक्षण किया है ?

निरीक्षण

प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी जाय।

6. बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 (Bihar Agricultre produce Market (Repeal) Act, 2006) की धारा 4 एवं 5 के अनुसरण में सरकार द्वारा कितने निर्देश, आदेश जारी किये हैं ? क्या इन्हें सदन पटल पर रखा गया है, यदि हां, तो कब ?

7. 2006 में कृषि विपणन पर्षद भंग हो गया और परिसम्पत्तियों की देख–रेख की जिम्मेवारी प्रशासक की हो गयी परंतु 2025 में बाजार समितियों की सम्पत्तियों का आकलन ही कराया जा रहा है, वह भी चरणबद्ध ढंग से। सम्पत्तियों का आकलन कबतक होगा और इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

8. भागलपुर में स्थल अध्ययन के दौरान जानकारी दी गयी कि बाजार समिति में दुकानें बनायी गयीं थीं उनमें विवाद हो गया है। बाजार समिति, मुसल्लहपुर, पटना की विस्तृत जानकारी समिति चाहती है :

   (क) मुसल्लहपुर बाजार समिति, पटना में कुल कितने व्यापारी हैं, कितनी दुकानें पूर्व से आवंटित हैं और कितनी दुकानों का निर्माण पिछले पांच वर्षों में किया गया है, दुकानें कब बनायी गयी और नवनिर्मित दुकानों का आवंटन हुआ या नहीं, व्यापारियों की संख्या के अनुरूप दुकानें बना कर उन्हें आवंटित करने में क्या कठिनाई है ?

9. बाजार समिति प्रांगण में बनी दुकानों के आंवटन के बारे में बताया गया कि विभाग स्तर पर आवंटन की नीति का प्रारूप प्रक्रियाधीन है। आवंटन की नीति बनी नहीं और दुकानें बन गयी, आंवटन हुआ नहीं इससे तो पर्षद को राजस्व का घाटा हो रहा है। मुसल्लहपुर बाजार प्रांगण में कितनी दुकानें बनायी गयीं, उस पर कितनी राशि खर्च की गयी, दुकानें कब बनीं यह विवरण उपलब्ध कराया जाय ताकि समिति समझ सके कि कितनी पूंजी लगी और आजतक उस पूंजी से कितना रिटर्न आना चाहिये था जो नहीं आ सका ?

10. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गाँव को गोद लेने से संबंधित गाईडलाइन उपलब्ध कराया जाय।

11. हुलासगंज बाजार समिति प्रांगण में कचरा और जल–जमाव को दूर कराया गया या नहीं ?

समिति की दिनांक 02 जुलाई, 2025 से 10 जुलाई, 2025 तक राज्य के बाहर केरल एवं तमिलनाडु राज्य की अध्ययन यात्रा के संबंध में संबंधित राज्यों की विधान सभा से बात हुई, बताया गया कि समिति के स्थल अध्ययन यात्रा की सहमति पत्र कल तक भेज दी जायेगी। कार्यालय इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करे।

तत्पश्चात् बैठक स्थागित हुई।

परिशिष्ट–5

पत्रांक 04/कृषि विविध–08/2024–3402/कृ0,

बिहार सरकार

कृषि विभाग

प्रेषक

कल्पना कुमारी,

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में—

उप–सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय (प्रत्यायुक्त विधान समिति)

बिहार ,पटना।

पटना, दिनांक 11 जुलाई,2025(ई0)।

विषय——बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 14 जुलाई, 2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में कृषि विभाग के साथ आयोजित बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग——बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 1744, दिनांक 04 जुलाई, 2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 14 जुलाई, 2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में होनेवाले बैठक से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन दस प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0--यथोक्त।

विश्वासभाजन

कल्पना कुमारी

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक 15/विधि–15/2025–340/

बिहार सरकार

कृषि विभाग

बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि0), पटना

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0
प्रशासक ।

सेवा में

सरकार के अवर–सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

पटना, दिनांक 11 जुलाई, 2025(ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 3315, दिनांक 07 जुलाई, 2025 एवं पत्रांक 3347, दिनांक 08 जुलाई, 2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रश्नावली संख्या 01 से 09 एवं 11 से संबंधित कंडिकावार प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सत्येन्द्र कुमार निम्नवर्गीय लिपिक।	रहमत आलम उच्चवर्गीय लिपिक।	शंकर प्रसाद उच्चवर्गीय लिपिक।	सत्येन्द्र नारायण सिंह अवर–सचिव।	शैलन्द्र कुमार प्रशासक।

सरकार के अवर–सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3315, दिनांक 7 जुलाई, 2025, एवं पत्रांक 3347, दिनांक 08 जुलाई, 2025 में वर्णित प्रश्नावली से संबंधित कंडिकावार प्रतिवेदन :–

कंडिका संо — **प्रश्नावली**

1. त्रिसदस्यीय समिति की श्री सुजीत कुमार सिन्हा के मामलें के न्यायालय में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति कि रिपोर्ट एस0ओ0एफ0 के तौर पर कब तक दायर करना था. ? इस संबंध में न्यायालय का क्या आदेश था ?
2. आज की तिथि में वेतन दिये जाने का मामला न्यायालय के आदेश के आधार पर संरक्षित है कि नहीं, यदि है तो फिर वेतन रोकने का क्या औचित्य है जबकि कर्मी से काम लिया जा रहा है।
3. त्रिसदस्य समिति ने एल0पी0ए0 में जाने का निर्णय कब लिया, एल0पी0ए0 दायर हुआ कि नहीं यदि एल0पी0ए0 दायर हुआ तो उसमें न्यायालय का क्या आदेश प्राप्त हुआ ?
4. त्रिसदस्यीय समिति में कितनी बार एक हीं मामला को भेजा जा सकता है ?
5. 2024 एवं 2025 में प्रसाक ने कितनी बार बाजार समितियों का स्वयं निरीक्षण किया है ? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी जाय।
6. बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियमय,2006(Bihar Agricultre produce Market(Repeal) Act, 2006) की धारा–4 एवं 5 के अनुसरण में सरकार द्वारा कितने निर्देश, आदेश जारी किये गये हैं ? क्या इन्हें सदन पटल पर रखा गया है, यदि हां तो कब ?
7. कृषि विपणन पर्षद भंग हो गया और परिसम्पत्तियों की देख–रेख की जिम्मेवारी प्रशासक बाजार समितियों की सम्पत्तियों का आकलन ही कराया जा रहा है, वह भी चरणबद्ध ढंग से। सम्मपत्तियों का आकलन कबतक होगा और इतना विलम्ब क्यों हुआ ?
8. भागलपुर में स्थल अध्ययन के दौरान जानकारी दी गयी कि बाजार समिति में दुकानें बनायी गयी थी उनमें विवाद हो गया है। बाजार समिति मुसल्लहपुर पटना की विस्तृत जानकारी समिति चाहती है– मुसल्लहपुर बाजार समिति, पटना में कुल कितने व्यापारी है, कितनी दुकानें पूर्व से आंवटित है और कितनी दुकानों का निर्माण पिछले पांच वर्षों में किया गया है, दुकानें कब बनायी गयी और नवनिर्मित दुकानों का आवंटन हुआ या नहीं, व्यापारियों की संख्या के अनुरूप दुकानें बना कर उन्हें आवंटित करने में क्या कठिनाई है ?
9. बाजार समिति प्रांगण में बनी दुकानों के आवंटन के बारे में बताया गया कि विभाग स्तर पर आवंटन की नीति का प्रारूप प्रक्रियाधीन है। आवंटन की नीति बनी रही और दुकानें बन गयी आवंटन हुआ नहीं इससे तो पर्षद को राजस्व का घाटा हो रहा है। मुसल्लहपुर बाजार प्रांगण में कितनी दुकानें बनायी गयी, उस पर कितनी राशि खर्च की गयी, दुकानें कब बनीं यह विवरण

उपलब्ध कराया जाय ताकि समिति समझ सके कि कितनी पूंजी लगी और आजतक उस पूंजी से कितना रिटर्न आना चाहिये था जो नहीं आ सका ?

11. जहानाबाद जिला के हुलासगंज बाजार समिति प्रांगण में कचरा और जल जमाव को दूर कराया गया या नहीं ?

अनुपालन प्रतिवेदन

1 श्री सुजीत कुमार सिन्हा का मामला L.P.A No-177/2011(Arising from CWJC No.5494/2010) बिहार राज्य एवं अन्य से आच्छादित है। उक्त वाद में दिनांक 11 जुलाई 2011 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है :-

"It is directed that the service of the writ petitioner shall not be disturbed for a period of 8 (eight) weeks or till the matter is listed before the writ court for the first time for admission,whichever is earlier."

साथ ही उक्त वाद की सुनवाई हेतु writ court को वापस कर दी गयी। सी0डब्लू0जे0सी0सं0 5494/2010 श्री सुजीत कुमार सिन्हा बनाम राज्य एवं अन्य मामलें में दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को सुनवाई की गयी और निम्न आदेश पारित किया गया :-

"matter will come up after two weeks, as prayed on behalf of the counsel for the State for filing counter affidavit".

Time is granted subject to payment of Rs. 2000/- as cost, earlier indulgence given to the State has not begotten any result.

The interim order shall continue till further orders.

उक्त न्यायालयी आदेश के तहत वेतन भुगतान हेतु MJC No. 2040/2021 श्री सिन्हा द्वारा दायर किया गया तथा उक्त MJC वाद के अनुपालन में प्रशासक द्वारा दिसम्बर, 2023 तक वेतन भुगतान किया गया। जनवरी, 2024 में, श्री सिन्हा द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की गयी जिसकी समीक्षा हेतु तत्कालीन प्रशासक द्वारा प्रस्तुतिकरण मांगा गया, जिसमें समय लगा।

इस बीच प्रशासक का स्थानान्तरण हो गया। नये/ निवर्तमान प्रशासक द्वारा भी इस क्लिष्ट विषय को समझने में तथा माननीय LPA न्यायालय 177/2011 में 11 जुलाई, 2011 के आदेश द्वारा मात्र आठ सप्ताह तक ही अथवा Writ court में प्रथम Admision होने के अवधि पूरा हो जाने पर भी वादी की सेवा किस प्रकार रही इसे समझने का कतिपय प्रयास किया गया क्योंकि इस मामले से संयुक्त कई अन्य केस संबद्ध है। अंतः विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया (14.मई,2025)।

तदालोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा श्री सिन्हा के मामलें में विधि विभाग का परामर्श दिनांक 14 मई, 2025 प्राप्त हो गया है।

श्री सिन्हा की सेवा समायोजन का मामला माननीय न्यायालय वाद से आच्छादित है। मार्केटिंग

बोर्ड (वि0) के विघटन के बाद समायोजन की कार्रवाई हेतु अधिकृत समिति सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति है, जिसके पास सेवा समायोजन/वेतन भुगतान का मामला लिया जाना है ताकि विषयांकित वाद में विभाग अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके।

उक्त हेतु वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में तथा माननीय LPA तथा Writ न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन हेतु पर्षदीय पत्रांक 318 दिनांक 01 जुलाई, 2025 के द्वारा सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

इस प्रकार यह मामला सिर्फ वेतन भुगतान का नहीं है बल्कि गलत सेवा समायोजन का है, जिसमें पूर्व में MJC वाद के अनुपालन में वेतन भुगतान दिसम्बर, 2023 का किया गया है और मामला writ court में लंबित है। मामले की क्लिष्टता को समझने हेतु यह जानकारी देना भी उचित होगा कि इनके मामले में सरकार के उच्चतम स्तर पर सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की तीन बैठकें पूर्व में हो चुकी है, जिसमें दो बार इनके सेवा समायोजन को गलत बताया गया है।

पर्षदीय पत्रांक 318, दिनांक 01 जुलाई, 2025 के द्वारा सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है साथ हीं त्रिसदस्यीय समिति की बैठक के संबंध में संचिका संख्या 15/विधि 30/21 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को पृष्ठांकित की गयी है।

2 कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

3 कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

4 कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

5 दिनांक 27 जुलाई, 2024 को मोतीहारी कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0) का किया गया निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न, दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 को सीतामढ़ी बाजार प्रांगण का किया गया निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न, दिनांक 10 फरवरी, 2025 को मोहनिया कैमुर, बाजार प्रांगण का किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न तथा दिनांक 18 फरवरी, 2025 को दाउदनगर, औरंगाबाद कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का किया निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न।

विभाग स्तर से संयुक्त टीम गठित की गयी और 21 बाजार प्रांगणों का भ्रमण किया गया प्रतिवेदन संलग्न।

6 पर्षदीय कार्यालय आदेश सं0–70, ज्ञापांक 625 दिनांक 26 मार्च, 2007, सचिव कृषि विभाग बिहार पटना के अधिसूचना सं0 2997, दिनांक 18 मई, 2011 प्रधान सचिव, कृषि विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश सं0 566 ज्ञापांक 1880, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की छायाप्रति संलग्न।

सदन के पटल पर रखने की सूचना प्राप्त की जा रही है। तदोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

7 पर्षदीय पत्रांक 211, दिनांक 8 मई, 2025 एवं पत्रांक 338, दिनांक 9 जुलाई, 2025 छायाप्रति संलग्न के द्वारा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

नयी परिसम्मपतियों का विकास बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जीर्णोद्धार हेतु प्रांगण निगम को दिया गया है। कार्य पूर्ण होने के साथ परिसम्मपतियों का प्रभार लिया जाना है।

8 पर्षदीय पत्रांक 149, दिनांक 26 मार्च, 2025 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी, पटनासिटी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि0), मुसल्लहपुर के पत्रांक 86, दिनांक 15 जून, 2025 से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न।

9 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्य अभी पूर्ण नहीं किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से लगातार समीक्षा की जाती रही है। कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है।

11 जहानाबाद बाजार प्रांगण जीर्णेद्धार योजना का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यनवित की जा रही है प्रतिवेदन संलग्न है।

अभियुक्ति

1 त्रिसदस्यीय समिति की बैठक के संबंध में संचिका संख्या 15/विधि 30/21 सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को पृष्ठांकित की गयी है।

(ह0) अस्पष्ट,
प्रशासक,
बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि0), पटना।

(सत्येन्द्र नारायण सिंह)
अवर–सचिव

बि0स0मु0 25 (एस0ए0)2025–26–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026